उ० प्र० भूदान यज्ञ अधिनियम

१९५२

(नियमावली, टिप्पणी एवं उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ संशोधन अध्यादेश, १९७५सहित)

www.vinoba.in

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ

अधिनियम, १९५२

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९५३ ई०)

www.vinoba.in

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९५३ ई०)

(उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक २४ दिसम्बर १९५२ ई० तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद ने दिनांक ५ जनवरी, १९५३ ई० की बैठक में स्वीकृति किया ।)

(भारत संविधान के अनुच्छेद २०१ के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक २७ फरवरी, १९५३ ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक ५ मार्च, १९५३ ई० को प्रकाशित हुआ ।)

श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ के सम्बन्ध में भूमि के दान तथा उसके बन्दोबस्त को सुकर बनाने लिए

अधिनियम

यह आवश्यक है कि श्री विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ के संबंध में भूमि के दान को सुकर बनाया जाय और ऐसी भूमि का बन्दोबस्त भूमिहीन व्यक्तियों के साथ किया जाय :

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२" होगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

परिभाषाएँ ।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "भू-दान यज्ञ" का तात्पर्य उस आन्दोलन से है जो भूमिहीन व्यक्तियों* में वितरण के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक दान द्वारा भूमि हस्तगत करने के निमित्त श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध किया गया है;

(ख) "खाता" का अर्थ वही है, जो "holding" को यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में दिया गया है ;

(ग) "स्वामी" (owner) का तात्पर्य किसी भूमि के संबंध में—

* स्पष्टीकरण पृ० १० पर देखिये

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक २१ नवम्बर १९५२ ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

www.vinoba.in

(१) उन क्षेत्रों में जहां मध्यवर्तियों के अधिकार (rights) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गये हों, यथास्थिति, उसके भूमिधर या सीरदार से है,

(२) उन क्षेत्रों में जहां यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ समय विशेष पर प्रचलित हो, उसके जमींदार (landlord) से है तथा इसके अन्तर्गत माफीदार (rent free grantee) काश्तकार रियायती लगान (grantee at a favourable rate of rent), बागदार (grove-holder) और अधिनियम ऐक्ट की धारा २१ के खंड (a) से (f) तक में उल्लिखित काश्तकार (tenant) भी हैं,

(३) अन्य क्षेत्रों में, उसके स्वामियों (proprietors) से है और इसके अन्तर्गत ऐसा काश्तकार भी है जिसका भूमि पर दाय योग्य तथा हस्तांतरणीय स्वत्व (heritable and transferable interest) हो ;

(घ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(ङ) "राज्य सरकार" (State Government) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ; और

(च) इस अधिनियम में जिन शब्दों तथा पदों (Words and expressions) की परिभाषा न दी गई हो, उनका तात्पर्य—

(१) उन क्षेत्रों में जिनका अभिदेश खंड (ग) के उप खंड (१) में किया गया है, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में उनको दिये गये अर्थ से होगा ;

(२) उन क्षेत्रों में जिनका अभिदेश उक्त खंड के उपखंड (२) में किया गया है, यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ ई० में उनको दिये गये अर्थ से होगा;

(३) अन्य क्षेत्रों में, भूमि पर प्रवृत्त होने वाले भौमिक अधिकार (land tenure) से सम्बद्ध विधि में उनको दिये गये अर्थ से होगा।

भू-दान यज्ञ समिति की स्थापना और उसका निगमीकरण।

३—उत्तर प्रदेश के लिये एक भू-दान यज्ञ समिति [जिसे यहाँ पर आगे चलकर "समिति" (Committee) कहा गया है] की स्थापना की जायगी, जिसे सतत अनुक्रम (Perpetual succession) प्राप्त होगा, और जो एक नियमित संस्था (body corporate) होगी और उसे यह सामर्थ्य प्राप्त होगा कि अपने नैगम नाम (corporate name) से दूसरे पर वाद प्रस्तुत कर सके और दूसरा उस नाम पर उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सके, वह चल और अचल सम्पत्ति को उपार्जित कर सके, रख सके, उसका प्रशासन और हस्तान्तरण कर सके तथा संविदा भी कर सके।

www.vinoba.in

समिति (Committee) का संगठन।

४—(१) समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

(क) श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा नामांकित सभापति (चेयरमैन)।

(ख) चार सदस्य या उससे अधिक किन्तु नौ से अधिक नहीं जिन्हें श्री आचार्य विनोबा भावे नामांकित करेंगे।

(२) यदि, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निश्चित किये गये दिनांक या बढ़ाये गये किन्ही दिनों के पूर्व, सभापति (चेयरमैन) या सदस्य का नामांकन न किया जाय तो ऐसे स्थान या स्थानों पर, जो इस प्रकार रिक्त रह जाँय, राज्य सरकार सभापति (चेयरमैन) या सदस्यों की, यथास्थिति, नियुक्ति करेगी।

(३) सभापति [चेयरमैन] तथा सदस्य का नामांकन या उनकी नियुक्ति नियत रीति के अनुसार गजट में विज्ञापित की जायगी।

(४) समिति के सभापति और सदस्य उपधारा (३) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से चार वर्ष के लिये अपने पद पर कार्य करेंगे और वे पुनर्नामांकन के यथास्थिति, योग्य होंगे।

समिति को भंग किया जाना।

५- (१) यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह सन्तोष हो जाय कि—

(क) समिति ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के (Without reasonable cause or excuse) बिना नहीं किया है,

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन करने में समिति असमर्थ हो गयी है या हो सकती है, या

(ग) अन्य कारणों से समिति का भंग करना उपयुक्त या आवश्यक हो, तो यह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके—

(१) समिति को, ऐसी अवधि के लिए जो निर्दिष्ट की जाय, भंग कर सकती है,

(२) यह निर्देश कर सकती है कि इस अधिनियम की धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार समिति को पुनःसंगठित किया जाय, और

(३) यह प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन, उस अवधि के लिये जिसके लिए समिति भंग की गई हो, समिति के कर्त्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या प्राधि-

www.vinoba.in

कारी (authority) द्वारा और ऐसे निरोधों (Restrictions) के साथ जो नियत किये जायँ, किया जायगा।

(२) राज्य सरकार ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध (Provisions) कर सकती है जो इस प्रयोजन के लिये अवश्यक प्रतीत हों।

आकस्मिक रिक्तियाँ तथा समिति के संबंध में अन्य विषय।

६—समिति में होनेवाली आकस्मिक रिक्तियों को भरने का ढंग, उसके कार्य करने की प्रक्रिया (Procedure) तथा उसके कार्यों का प्रचालन, वही होगा जो नियत किया जाय।

समिति के कर्त्तव्य

७—(१) समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने में निहित सभी भूमियों का प्रबन्ध भू-दान यज्ञ के हित में करे।

(२) समिति भू-दान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य कार्य करेगी तथा उसे ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो ऐसी भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक हों।

भू-दान यज्ञ के लिये भूमि का दान।

८—(१) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति, जो भूमि का स्वामी हो, इस निमित्त नियत रीति से लिखित प्रख्यापन द्वारा (जिसे यहाँ पर आगे चलकर भू-दान प्रख्यापन कहा जायगा) ऐसी भूमि का दान और अनुदान (donate and grant) कर सकता है।

(२) भू-दान प्रख्यापन किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र तहसीलदार के यहाँ प्रस्तुत कर दिया जायगा।

प्रख्यापन का प्रकाशन तथा उसके संबंध में जाँच।

९—भू-दान प्रख्यापन प्राप्त होने पर, तहसीलदार—

(क) उसे उजूदारियों के लिये प्रकाशित करेगा, और

(ख) ऐसी भूमि में दाता के अधिकार, आगम और स्वत्व की सरसरी तौर से जांच करेगा।

भू-दान के लिये समर्थ दाता।

१०—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ या भौमिक अधिकार से सम्बद्ध किसी अन्य विधि में, जो लागू होती हो, किसी बात के होते हुए भी कोई स्वामी भू-दान यज्ञ में ऐसी भूमि को, जो उसके पास उक्त रूप में हो, दान करने के निमित्त इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समर्थ होगा।

उज्दारियों का प्रस्तुत किया जाना, उनकी सुनवाई और उनका निस्तारण।

११—(१) कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वत्वों पर धारा ८ के अधीन किये गये भू-दान प्रख्यापन का प्रभाव पड़ता हो, उक्त प्रख्यापन के प्रकाशन के दिनांक से ३० दिन के भीतर उसके सम्बन्ध में तहसीलदार के समक्ष उजूदारी कर सकता है।

www.vinoba.in

(२) तहसीलदार ऐसी प्रत्येक उज्रदारी को रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करेगा जिसकी सूचना प्रख्यापन करने वाले व्यक्ति, उज्रदारी करने वाले व्यक्ति तथा सम्बद्ध गांव पंचायत को दी जायगी।

(३) सुनवाई के दिनांक पर या किसी ऐसे अन्य दिनांक पर, जिसके लिये सुनवाई स्थगित की जाय, तहसीलदार उज्रदारी की जाँच पड़ताल और निस्तारण की कार्यवाही आरम्भ कर देगा और धारा १२ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये--

(क) या तो भू-दान प्रख्यापन को पुष्ट (confirm) करेगा, अथवा।

(ख) उसे अधिक्रान्त (supersede) कर देगा।

(४) तहसीलदार भू-दान प्रख्यापन को पुष्ट कर देता है तो समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, स्वामी (owner) के ऐसी भूमि में सभी अधिकार, आगम और स्वत्व भू-दान यज्ञ के प्रयोजनों के निमित्त भू-दान समिति को हस्तान्तरित तथा उसमें निहित हो जावेंगे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूदान प्रख्यापन की पुष्टि के दिनांक से ठीक बाद की जुलाई के पहले दिन से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि तक ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई मालगुजारी देय नहीं होगी यदि वह दान के दिनांक पर परती कदीम अथवा बंजर हो।

(५) यदि उपधारा (३) के अन्तर्गत तहसीलदार दान प्रख्यापन को अधिक्रान्त कर दे तो उक्त दान निरस्त हो जायेगा और ऐसी भूमि में स्वामी के सभी अधिकार, स्वत्व और आगम उसी प्रकार प्रचलित रहेंगे मानो कि ऐसा कोई दान किया ही न गया हो।

भूमि जिनका दान नहीं दिया जा सकता।

१२--किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई स्वामी इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त किसी ऐसी भूमि का दान नहीं कर सकता है जो निम्नलिखित वर्गों में से किसी के भी अन्तर्गत हो,

(क) ऐसी भूमि जो दान के दिनांक अभिलिखित या आचारिक सार्वजनिक पशुचर भूमि, श्मशान, अथवा कब्रिस्तान, तालाब, रास्ता अथवा खलिहान हो,

(ख) ऐसी भूमि जिसमें स्वामी के स्वत्व जीवन काल तक सीमित हों;

(ग) अन्य ऐसी भूमि जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे।

www.vinoba.in

इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दान दी हुई भूमि।

१३—[१] यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कोई भूमि भू-दान यज्ञ में दान दी गई हो तो कलेक्टर उन भूमियों को छोड़कर जिन पर धारा १२ के उपबन्ध लागू होते हों, ऐसी सभी भूमियों की सूची तैयार करेगा और उसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे—

[क] भूमि का क्षेत्रफल तथा अन्य ब्यौरे,

[ख] दाता का नाम तथा पता;

[ग] दान का दिनांक;

[घ] ऐसी भूमि में दाता के स्वत्व का प्रकार;

[ङ] यदि ऐसी भूमि भू-दान यज्ञ के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुदान की जा चुकी हो तो उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे भूमि अनुदान की गई है [जिसे आगे चलकर अनुदान ग्रहीता (grantee) कहा गया है];

[च] उपखंड [ङ] के अन्तर्गत अनुदान [grant] दिनांक; और

[छ] ऐसे अन्य ब्यौरे जो नियत किये जायँ।

[२] इस प्रकार तैयार की गयी सूची प्रकाशित की जायगी।

[३] उपधारा (२) के अन्तर्गत सूची प्रकाशित होने पर किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी;

(क) दाता के ऐसी भूमि में अधिकार, आगम तथा स्वत्व, दान के दिनांक से भू-दान यज्ञ समिति को हस्तान्तरित तथा उसमें निहित समझे जायँगे मानो कि धारा ८ तथा ११(३) के अनुसार भूदान यज्ञ प्रख्यापन विधिवत् किया गया था तथा उस सम्बन्ध में पुष्ट हुआ था।

(ख) यदि ऐसी भूमि का भू-दान यज्ञ के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुदान कर दिया गया हो, तो उक्त भूमि अनुदान के दिनांक से धारा १४ के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार अनुदान ग्रहीता को अनुदान की गयी भी समझी जायगी।

भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का प्रदान।

१४ समिति अथवा अन्य कोई प्राधिकारी अथवा व्यक्ति जिसे समिति राज्य सरकार की स्वीकृति से सामान्यतः अथवा क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे समिति में निहित भूमि भूमिहीन व्यक्तियों* को नियत विधि से अनुदान कर सकते हैं, और भूमि का अनुदान ग्रहीता

१) यदि भूमि किसी ऐसे आस्थान में स्थित हो जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत और अनुसार राज्य सरकार में निहित हो गयी हो, तो ऐसी

* स्पष्टीकरण पृ० १० पर देखिये

www.vinoba.in

भूमि में सीरदार के अधिकार तथा दायित्व उपार्जित करेगा, और

(२) यदि भूमि किसी अन्य क्षेत्र में स्थित हो तो ऐसे अधिकार और दायित्व एवं ऐसे प्रतिबन्धों, निरोधों और सीमाओं (Such conditions, restrictions and limitations) के अधीन जो नियत किये जायँ, उपार्जित करेगा, तथा अन्य किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी ये सप्रभाव होंगे।

भू-दान यज्ञ योजन के अनुसार ही प्रदान (ग्रांट) दिये जायेंगे।

१५—सभी अनुदान जहाँ तक संभव होगा भू-दान यज्ञ योजना के अनुसार ही किये जायेंगे।

रजिस्ट्री तथा स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति।

१६—धारा ८ के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया भू-दान प्रख्यापन अथवा धारा १४ के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया भूमि का अनुदान किसी विपरीत बात के होते हुए भी रजिस्ट्री और लेखों के निष्पादन से सम्बद्ध विधि के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी की आदायगी और रजिस्ट्री अथवा साक्षीकरण (ऐटेस्टेशन) से मुक्त रहेगा और सर्वदा मुक्त समझा जायेगा।

नियम बनाने का अधिकार।

१७ (१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकेगी—

(क) समिति की स्थापना, संगठन तथा इसके सभापति अथवा सदस्यों के, जैसी भी दशा हो, नामांकन और नियुक्ति से सम्बद्ध विषय ;

(ख) भू-दान प्रख्यापन का आकार-पत्र तथा रीति जिसमें वह प्रस्तुत किया जायगा ;

(ग) भू-दान प्रख्यापन के साथ नत्थी किये जाने वाले लेख्य ;

(घ) भू-दान प्रख्यापन के प्रकाशन की रीति ;

(ङ) धारा ९ के अधीन जाँच का प्रकार, क्षेत्र तथा रीति ;

(च) उज्रदारियां प्रस्तुत करने तथा इनके दर्ज करने की रीति ;

(छ) उज्रदारियों की सुनवाई के लिए दिनांक का निश्चित किया जाना ;

(ज) इस अधिनियम के अन्तर्गत नोटिसों की तामील की रीति और ढंग ;

www.vinoba.in

(झ) धारा ११ के अन्तर्गत उज्रदारियों की सुनवाई तथा निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ञ) प्रख्यापन के पुष्टीकरण अथवा अधिक्रान्त करने से सम्बद्ध प्रक्रिया ;

(ट) धारा १४ के अनुसार भूमि अनुदान से सम्बद्ध विषय ; और

(ठ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायँ ।

---

*भूमिहीन वह समझे जावेंगे—

(१) जिसके पास जमीन न हो,

(२) जिसके पास दूसरा धंधा सिवाय कृषि-संबंधी कार्य की मजदूरी के न हो,

(३) जिसमें खेती करने की सामर्थ्य हो,

(४) जो स्वयं खेती करने को तैयार हो ।

www.vinoba.in

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ

अधिनियम, १९५२

के अधीन नियमावली

प्रारम्भिक

१—(क) इस नियमावली का नाम उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ नियमावली होगा।

(ख) यह तुरन्त प्रचलित होगी।

परिभाषाएँ

२– विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

(१) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम सं० १०, १९५३ से है।

(२ "समिति" का तात्पर्य अधिनियम की धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश की भू-दान यज्ञ समिति से है और उसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा ५।१।२ के अधीन पुनः संगठित समिति भी है।

(३) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

धारा ३
भू-दान यज्ञ समिति की स्थापना और उसका निगमीकरण (In-corporation)

३—समिति द्वारा किसी अनुदान-गृहीता (Grantee) को भूमि दे दी जाने पर अनुदान ग्रहीता और वह भूमि भी, जो अनुदान का विषय है, अधिनियम के उपबन्धों को वापिस न करते हुए, भौमिक अधिकार (Land Tenure) सम्बन्धी प्रचलित विधियों से नियमित होंगे।

धारा ४
समिति का संगठन

४– [१] समिति के सभापति (Chairman) तथा सदस्यों का नामांकन अधिनियम की धारा ४ की उपधारा [१] के खण्ड [क] तथा [ख] के अनुसार श्री आचार्य विनोबा भावे जी करेंगे और ये नामांकन नियमावली के प्रकाशित होने के दिनांक से ३० दिन की अवधि के भीतर या सरकार द्वारा बढ़ाई गई ऐसी और अवधि के भीतर, जो ३० दिन से अधिक न होगी, हो जावेंगे।

[२] भू-दान यज्ञ आन्दोलन को सुकर बनाने के लिये समिति का एक संयोजक [Manager] या मंत्री [Secretary] भी होगा और इस पद के लिए भी श्री आचार्य विनोबा भावे ही समिति के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नामांकित करेंगे। इस प्रकार नियुक्त किया गया संयोजक या मंत्री समिति की कार्यवाहियों को भी अभिलिखित [Record] करेगा।

www.vinoba.in

[३] यदि श्री विनोबा भावे जी उपर्यक्त खण्ड [१] और [२] में विहित नामांकन उसमें दी हुई अवधि के भीतर न कर पायें, तो इस प्रकार नामांकित न किये गये सभापति, संयोजक या मंत्री तथा सदस्य या सदस्यों का नामांकन अधिनियम की धारा ४ के उपखण्ड [२] के अनुसार सरकार द्वारा किया जायेगा।

[४] सभापति, संयोजक या मन्त्री तथा सदस्यों के रूप में नियुक्त या नामांकित किये गये व्यक्तियों के नाम उत्तर प्रदेश गजट में निम्नलिखित आकार में प्रकाशित किये जायेंगे—

[क]
सभापति का नाम, पितृनाम या पूरा पता स्थायी निवास स्थान

[ख]
सदस्य का नाम पितृनाम या पूरा पता स्थायी निवास स्थान

उप–समिति

[५] सभापति समिति के परामर्श से जिलों में भूदान कार्य चलाने के निमित्त प्रत्येक जिले के लिये एक संयोजक और एक उपसमिति जिसमें अधिक से अधिक दस सदस्य होंगे, नियुक्त करेगा।

धारा ५ समिति का भंग किया जाना

५—[१] इस बात का सन्तोष हो जाने पर कि धारा ५ की उप धारा [१] के खण्ड [क] [ख] तथा [ग] में दी हुई दशाओं में से सब या कोई एक या एक से अधिक दशाएँ वर्तमान हैं, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश गजट में एक विज्ञप्ति जारी करेगी जिसमें वह दिनांक जब से और वह अवधि जिसके लिये समिति भंग करेगी, दिया जायेगा।

[२] उपर्युक्त उपनियम [१] के अनुसार सरकार द्वारा समिति के भंग किये जाने पर श्री आचार्य विनोबा भावे उपर्युक्त उपनियम [१] में अभिविष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से ३० दिन की अवधि के भीतर समिति के सभापति, संयोजक या मन्त्री और सदस्यों का नामांकन करेंगे और ऐसा न होने पर राज्य सरकार स्वतः सभापति, संयोजक या मन्त्री और सदस्यों का नामांकन करेगी। श्री आचार्य विनोबा भावे या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नामांकित किये गये सभापति संयोजक या मन्त्री और सदस्यों के नाम उपर्युक्त नियम ४ के उपनियम [४] के अनुसार राज्य के गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

तदर्थ राज्य समिति

[३] राज्य सरकार समिति के भंग किये जाने और उसके पुनः संगठन के बीच की अवधि में समिति के कार्यों के सम्पादन और अधिकारों के प्रयोग के काल के लिए बनाई गई उक्त समिति का नाम तदर्थ राज्य समिति होगा और वह अपने संगठन के दिनांक से दो महीने से अधिक समय तक कार्य नहीं करेगी।

www.vinoba.in

धारा ६ रिक्त स्थानों में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया।

६ — [१] किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने या उसके त्याग पत्र दे देने पर उसके स्थान की पूर्ति उसी व्यक्ति या प्राधिकारी [Authority] द्वारा की जायेगी जिसने उसे नामांकित किया था। इस प्रकार नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए होगी जिसके स्थान पर वह सदस्य हुआ है।

[२] समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्तियों की पूर्तियां उसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जिसने तत्संबंधी सदस्य को नियुक्त किया हो। किसी आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त होने वाले सदस्य की नियुक्ति की अवधि उस सदस्य की शेष कार्य अवधि के लिए होगी जिसके स्थान पर आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति की जाय।

धारा ७ समिति के कर्तव्य।

७—[१] समिति या तो स्वयं या नियम ४ के उपनियम [५] के अधीन उस जिले के लिए नियुक्त उप समिति द्वारा, जिसके लिये वह बनाई गई है, या ऐसे अन्य अधिकारी या व्यक्ति द्वारा जिसे उसने राज्य सरकार की अनुमति से किसी विशेष क्षेत्र के लिये नामांकित किया है, ऐसे किसी एक या सब कार्यों का सम्पादन और अधिकारों का प्रयोग करेगे जो अधिनियम या तदधीन बने नियमों द्वारा उसे दिये गये हों।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि समिति द्वारा उपर्युक्त उपनियम [१] में उल्लिखित किसी उपसमिति या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को सौंपा गया अधिकार किसी भी समय प्रत्यावर्तित Removed किया जा सकेगा।

[२] अपने कार्य सम्पादन के लिए समिति की बैठक साधारणतः महीने में एक बार ऐसे स्थान पर होगी जो उसके द्वारा इस निमित्त निश्चित किया जाय। समिति की बैठक करने के लिए १० दिन पूर्व सूचना [नोटिस] देना आवश्यक होगा।

[३] प्रत्येक बैठक के लिए निर्वाहक संख्या [कोरम] सभापति को सम्मिलित करते हुए तीन होगीं। किन्तु प्रतिबध यह है कि यदि किसी बैठक में निर्वाहक संख्या [कोरम] पूरी न हो तो वह किसी ऐसे अन्य दिनांक के लिए, जो सभापति द्वारा निश्चित किया जाय, स्थगित कर दी जायेगी और स्थगित बैठक की कार्यवाही [Agenda] अगली बैठक में करने के लिए रखी जायेगी और उस बैठक के लिए निर्वाहक संख्या [कोरम] का नियम लागू न होगा।

[४] सभापति, या उसकी अनुपस्थिति में समिति का कोई सदस्य जो उपस्थित सदस्यों द्वारा उस प्रयोजन के लिए और उस बैठक के लिए चुना गया हो, समिति की बैठक का प्रधान होगा।

[५] समिति का सभापति या संयोजक या मन्त्री समिति की किसी बैठक में किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है जिसकी उपस्थिति आवश्यक या वांछनीय समझी जाय।

www.vifindia.in

[६] मतभेद होने पर विवादास्पद विषय श्री आचार्य विनोबा भावे के पास उनके पथ-प्रदर्शन के लिये भेजा जायगा।

धारा ८
भू-दान यज्ञ के लिये भूमि का दान

८—[१] भू-दान यज्ञ का प्रख्यापन [Declaration] परिशिष्ट १ में दिये हुए आकार पत्र के अनुसार होगा।

[२] उक्त प्रख्यापन के साथ चालू वर्ष की खतौनी का एक उद्धरण संलग्न होगा जो उस हल्के के लेखपाल द्वारा, जिसमें वितरित की जानेवाली भूमि स्थित हो, यथावत् प्रमाणित किया जायेगा। यदि उक्त खतौनी उपलब्धन हो तो चालू वर्ष से ठीक पहले वर्ष की खतौनी का उद्धरण प्रस्तुत किया जायेगा।

[३] अधिनियम के अधीन किये गये भूमि के सब दान [Donation] समिति या उसके नामांकित व्यक्ति द्वारा एक रजिस्टर में, जो परिशिष्ट २ के आकार में होगा, दर्ज किये जायेंगे। प्रत्येक जिले के लिए अलग रजिस्टर रखा जायगा, जिसमें प्रत्येक तहसील के लिए एक उप-शीर्षक [Sub head] होगा और उसकी एक प्रति तहसीलदार के पास भी भेजी जायेगी जो अपनी तहसील के लिये वैसा ही रजिस्टर रखेगा।

[४] भू-दान प्रख्यापन उस तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी तहसील में तत्सम्बन्धी सम्पत्ति हो। ऐसे प्रख्यापन या तो स्वयं दाता [Donee] द्वारा या दाता की ओर से समिति द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

धारा ९
प्रख्यापन का प्रकाशन और उसके संबन्ध में जांच।

९—[१] उक्त प्रख्यापन प्राप्त होने पर तहसीलदार उसे नीचे दिये उप-नियम [२] में नियत की गई रीति से इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में उसी रीति से दर्ज करेगा जैसे यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ३४ के अधीन उत्तराधिकार या कब्जे के हस्तान्तरण की प्रसूचना दर्ज की जाती है।

[२] तहसीलदार परिशिष्ट २-क में दिये हुये आकार-पत्र के अनुसार एक रजिस्टर रखेगा और उसमें ऐसे इन्दराज करेगा जिनकी व्यवस्था उपर्युक्त उपनियम [१] में की गई है। इस रजिस्टर में निम्न-लिखित भूमि-श्रेणियों के सम्बन्ध में इन्दराज किये जायेंगे और उनके लिए अलग-अलग पृष्ठ समूह रखे जायेंगे और उनके साथ पर्याप्त संख्या में खाली पृष्ठ छोड़ दिये जायेंगे जिनमें नये इन्दराज हो सके।

१—कृषि योग्य भूमि,

२—बंजर या पड़ती भूमि,

३—कृषि सम्बन्धी बंजर भूमि और

४—वन - भूमि,

www.vinoba.in

[३] भू-दान प्रख्यापन प्राप्त होने पर, तहसीलदार उसे नीचे लिखी रीति से और परिशिष्ट ३ में दिये आकार-पत्र में प्रकाशित करेगा।

[क] उस व्यक्ति को छोड़कर जिसने प्रख्यापन प्रस्तुत किया है, सब अभिलिखित खातेदारों के ऊपर एक ऐसा नोटिस निःशुल्क तामील किया जायगा, जिसमें प्रख्यापन में दिए गए ब्यौरे हों।

[ख] प्रख्यापन की एक प्रति उस गांव में जिसमें तत्संबंधी भूमि स्थित हो, किसी प्रमुख स्थान पर लगा दी जायेगी।

[४] नोटिस की तामील, तहसीलदार के विवेक के अनुसार या तो डाक द्वारा या माल के न्यायालय के चपरासियों के द्वारा या दोनों प्रकार से की जायगी।

[५] तहसीलदार सशपथ (Oath) बयान ले सकता है और प्रस्तुत किए गए लेखों को ग्रहण कर सकता है।

धारा १० उज्रदारियों का प्रस्तुत किया जाना उनकी सुनवाई और उनका निस्तारण।

१०--[१] सरसरी जांच करने में, जिसकी व्यवस्था धारा ११ के अधीन की गई है, तहसील इस बात को निश्चित करेगा कि—

[क] प्रख्यापन प्रस्तुत करने वाले दाता का प्रख्यापन में उल्लिखित भूमि के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः कोई अधिकार, आगम या स्वत्व है या नहीं।

[ख] उक्त दाता [Donor] दान करने के लिए विधितः समर्थ [Competent] है या नहीं, और

[ग] तत्सम्बन्धी भूमि खाली है या नहीं किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त भूमि किसी अधीनस्थ जोत [Subordinate tenure] में हो या किसी अन्य व्यक्ति के अध्यासीन [Occupation] में हो तो वह उसी दशा में खाली समझी जायगी जब अधीनस्थ खातेदार [Subordinate tenure holder] या अध्यासीन व्यक्ति उक्त भूमि के दान के लिए लिखित सहमति दे और उसे अनुदानगृहीता [Grantee] या समिति के पक्ष में खाली कर देने के लिए तैयार हो।

[२] तहसीलदार धारा ११ के अधीन प्रस्तुत की गई उज्रदारियों की सुनवायी करने से पहले, परिशिष्ट में दिये गये आकार में सम्बद्ध प्रख्यापक [Declarant], उज्रदारी करने वाले तथा गांव पंचायत को निःशुल्क नोटिस देगा और सब पक्षों की सुनवाई करने और ऐसी जांच के बाद जिसे वह उपयुक्त समझें, अपना निर्णय लिपिबद्ध करेगा।

[३] धारा ११ की उपधारा [१] के अधीन उज्रदारियां लिखित और अभिवचन [Pleadings] की विधि के अनुसार होंगी।

११ तहसीलदार परिशिष्ट ५ में दिये गये आकार-पत्र के अनुसार एक रजिस्टर रखेगा जिसमें पड़ती कदीम तथा बंजर भूमियों के अनुदान जो तीन साल के लिए मालगुजारी से मुक्त कर दिये गये हों, दर्ज किये जायेंगे।

www.vinoba.in

१२—समिति परिशिष्ट ६ में दिये गये आकार-पत्र के अनुसार एक रजिस्टर रखेगी जिसमें उसके द्वारा दिये गये अनुदान दर्ज किये जायेंगे।

धरा १३ धारा १३ के अधीन तैयार की गई सूची का व्योरा और उसका प्रकाशन।

१३—[१] धारा १३ में उल्लिखित सूची में उस धारा में वर्णित व्योरों के अतिरिक्त, निम्नलिखित व्योरे भी दिये जायेंगे :—

[क] भूमिकी किस्म, जिसमें यह दिखलाया जायेगा कि भूमि कृषि भूमि है, ऊसर [Barren] है और या वन-भूमि इत्यादि है।

[ख] इस बात का प्रमाण-पत्र कि उक्त भूमि धारा १२ में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग की नहीं है।

[ग] वह मालगुजारी या लगान जो दान करने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर तत्सम्बन्धी भूमि पर निर्धारित थी।

[२] उक्त सूची की एक प्रति तहसील के सूचनापट [नोटिस बोर्ड] पर चिपका दी जायेगी और दूसरी प्रति उस गांव के किसी प्रमुख स्थान पर लगा दी जायेगी जिसमें दान की हुई भूमि स्थित हो।

धारा १४ उन व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व जिन्हें भूमि प्रदान की जाय।

१४ [१] भू-दान यज्ञ समिति एक दान लेख Donation deed निष्पादित करेगी जो परिशिष्ट ७ में दिये हुए आकार-पत्र में होगा।

[२] उन क्षेत्रों की भूमि का अनुदान गृहीता, जिनमें १९५०ई० का जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं है, ऐसे अधिकार प्राप्त करेगा और ऐसे दायित्वों के अधीन होगा जो समिति विधि के अधीन प्रदान या आरोपित करे। अनुदान गृहीता निम्नलिखित प्रतिबन्धों [Conditions] निरोधों [Restrictions] और सीमाओं [Limitations] के अधीन होगा :—

[क] अनुदानगृहीता समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये किस्तों तथा दिनों पर समिति को लगान देगा।

[ख] अनुदानगृहीता को भूमि को शिकमी पट्टे पर उठाने या हस्तांतरित करने का अधिकार न होगा। और

[ग] अनुदानगृहीता को उस प्रयोजन को छोड़कर जिसके लिए भूमि दी गई है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने का अधिकार न होगा।

१५— भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्तियों के दान के सम्बन्ध में समिति स्वयं नियम नियत करेगी। ऐसे नियम जहाँ तक हो सके, भू-दान यज्ञ योजना के अनुसार बनाये जायेंगे।

www.vinoba.in

परिशिष्ट १

(नियम ८ (१) देखिये)

भू-दान यज्ञ प्रख्यापन का आकार-पत्र

में — — — — — — श्री — — — — — — का पुत्र तथा गाँव — — — — तहसील — — — जिला — — — का निवासी हूँ और एतद्द्वारा श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ के लिये भूमि के निम्नलिखित गाटे/गाटों का दिनांक — — — १९ — से दान करता हूं।

उस गाँव, परगने तहसील और जिले का नाम जिसमें दान की भूमि स्थित है।	भौमिक अधिकार (जोत, का वर्ग (किस्त)	दान के गाटे/गाटों की खसरा संख्याएँ	दान के गाटे/गाटों का क्षेत्रफल	दान के गाटे/गाटों की मालगुजारी
१	२	३	४	५

दिनांक — — १९५ ।   दाता के हस्ताक्षर।

www.vinoba.in

परिशिष्ट २

[नियम ८ (३) देखिये]

श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ के लिये दान की हुई भूमियों का रजिस्टर का आकार-पत्र

www.vinoba.in

क्रम संख्या	दाता द्वारा दान के प्रख्यापन का दिनांक	दाता का नाम. पिता नाम और निवास-स्थान	दान की हुई भूमि के सम्बन्ध में दाता का आगम (Title)	दान की भूमि का क्षेत्रफल	दान के गाटे/ गाटों की खसरा संख्यायें	गाँव तथा परगना, जिसमें दान की भूमि स्थित है।	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८

परिशिष्ट २ [क]

[नियम ६ (२) देखिये]

अधिनियम की धारा ८ के आधीन प्रस्तुत किये गये प्रख्यापनों के रजिस्टर का आकार-पत्र

प्रख्यापन की क्रम संख्या	दिनांक जब प्रस्तुत किया गया	प्रख्यापक का नाम तथा पता	उस ग्राम तथा परगने का नाम जिसमें वह भूमि स्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रख्यापन प्रस्तुत किया गया है।	यदि अधिनियम की धारा ११ (१) के अन्तर्गत उज्रदारी प्रस्तुत की गई हो।	दिनांक जब प्रख्यापन पुष्ट किया गया।	दिनांक जब प्रख्यापन अधिक्रान्त किया गया।	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८

www.vinoba.in

परिशिष्ट ३

[नियम ९ (३) देखिये]

तहसील के तहसीलदार के न्यायालय में

सेवा में,

(उस व्यक्ति को छोड़कर जिसने प्रख्यापन दिया है, अभिलिखित खातेदारों के नाम, पितृ नाम और निवास स्थान।)

श्रीमती ···· ··· ···· ···· ···· ··· — ··· ···· ··· ···· ····

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ···· ···· ···· ··· ··· ···· ···· ···· ··· ···· ····

निवासी गाँव ···· — ··· ··· ···· परगना ···· ···· ··· ···· ···· ····

तहसील ···· ···· ···· ··· ···· ··· जिला ···· ···· ···· ··· ···

ने प्रख्यापित किया है कि उन्होंने श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ के लिए भूमि के निम्नलिखित गाटे/गाटों का दिनांक ····१९६ से दान किया है,

अतएव आपको एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यदि आप उज्रदारी करना चाहते हों तो आप दिनांक ···· — ··· ··· ···१९६ तक ऐसा कर सकते हैं।

भूमि के गाटे/गाटों का विवरण

खसरा संख्या /संख्यायें ··· ···· ··· ··· ···· ···· ··· ···· ··· ···

भौमिक अधिकार/जोत का वर्ग ···· ···· ···· ···· ··· ··· ···· ····

क्षेत्रफल एकड़ों या प्रामाणिक बीघों में — — — — — — —

मालगुजारी — — — — — — — — — — —

गाँव — — — — — — — — — — —

परगना — — — — — — — — — —

तहसील ··· ···· ···· ···· ···· ··· ···· ···· ···· ····

जिला — — — — — — — — — — —

आज दिनांक — — — — —१९ को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

दिनांक — — — —१९६ ई०

तहसीलदार — —

न्यायालय की मुहर

तहसील

www.vinoba.in

परिशिष्ट ४

[नियम १० (२) देखिये]

तहसील के तहसीलदार के न्यायालय में

सेवा में,

(प्रख्यापक तथा उज्रदारी करने वाले का नाम, पितृ-नाम और निवास स्थान और सम्बद्ध गांव पंचायत का पता।)

प्रख्यापित किया जाता है कि आपने भूमि के निम्नलिखित गाटे/गाटों का आपने ··· — — — ···· ···· ···· ···· ··· — — — ···· —

भू-दान यज्ञ के लिए भूमि के निम्नलिखित गाटे/गाटों के दान के विरुद्ध दान भू-दान यज्ञ के लिए किया है — — — — — — — — —

अत: आप को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक ——उज्रदारियाँ प्रस्तुत की हैं — — — — —उज्रदारियों की सुनवाई और तत्सम्बन्धी साक्ष्य के लिए यदि कोई हो, निश्चित किया गया है। अतएव आपको आदेश दिया जाता है कि आप उक्त दिनांक पर उन सब लेख्यों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें जिनके आधार पर आप अपने पक्ष का समर्थन करना चाहते हैं ।

आप ध्यान रखें कि पूर्वोक्त दिनांक पर आपके उपस्थित न होने पर, वाद की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी।

दान के लिये अभिप्रेत भूमि के गाटे/गाटों का विवरण —

खसरा संख्या/संख्याएँ — — — — — — — — — — —

भौमिक अधिकार का वर्ग — — — — — — — — —

क्षेत्रफल, एकड़ों या ग्रामाणिक बीघों में — — — — — — —

मालगुजारी — — — — — — — — — — — —

गांव — — — — — — परगना — — — — — —

तहसील — — — — — — जिला — — — — — —

आज दिनांक — — — —को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से दिया गया ।

हस्ताक्षर

दिनांक — — — १९ ई०

तहसीलदार

न्यायालय की मुहर

तहसील

www.vinoba.in

www.vinoba.in

परिशिष्ट ५

(नियम ११ देखिये)

तीन साल के लिये मालगुजारी से मुक्त किये गये अनुदानों के रजिस्टर का आकार-पत्र

गाँव.....परगना.....तहसील.....जिला.....

क्रम सख्या	अनुदानगृहीता का नाम पितृ नाम और निवास स्थान	अनुदान देने का दिनांक	दी हुई भूमि का क्षेत्रफल	दिये हुए गाटे/गाटों की खसरा संख्या	पड़ती कदीम, या बंजर	दिनांक जबसे मालगुज़ारी देय होती है।	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८

www.vinoba.in

परिशिष्ट ६

(नियम १२ देखिये)

भूदान-यज्ञ समिति द्वारा दिये हुए अनुदानों के रजिस्टर का आकार-पत्र

क्रम सं०	अनुदानगृहीता का नाम, पितृनाम और निवास-स्थान	दिये हुए गाटे/गाटों की खसरा संख्या/संख्याएँ	भौमिक अधिकार का वर्ग	क्षेत्रफल एकड़ों या प्रामाणिक बीघों में	मालगुजारी	गांव	परगना	तहसील	जिला	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११

www.vinoba.in

परिशिष्ट ७

[नियम १४ (१) देखिये]

भूदान-यज्ञ समिति द्वारा निष्पादित किये जाने वाले दानलेख (Donation Deed) का आकार-पत्र

भूदान-यज्ञ के लिये दान में दिये गये निम्नलिखित गाटा/गाटे एतद्द्वारा श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी गाँव.....परगना.....तहसील.....जिला.....को दिया/दिये जाते हैं।

गाँव, परगना, तहसील और जिले का नाम जिसमें भूमि स्थित है	भौमिक अधिकार का वर्ग	गाटे/गाटों की खसरा संख्या/संख्याएँ	गाटे/गाटों का क्षेत्रफल	गाटे/गाटों की मालगुजारी	गाटे/गाटों का लगान	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७

दिनांक.....१९ ई० साक्षी.....

जिला उपसमिति के संयोजक के हस्ताक्षर
आज्ञा से
जहूरुल हसन
सचिव

पी० एस० यू० पी० ए० पी—४७ गजट (हिन्दी) १९५३-२७४५

सत्य-प्रतिलिपि

रजिस्टर्ड नं० ए० डी० ४

सीज

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, २१ जनवरी, १९७५

माघ १, १८९६ शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—१

संख्या २६८/१७-वि-१-७-७५

लखनऊ, २१ जनवरी, १९७५

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड [१] द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ने निम्नलिखित उत्तर-प्रदेश भू-दान यज्ञ [संशोधन] अध्यादेश, १९७५ [उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९७५] प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अध्यादेश, १९७५

[उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९७५]

[भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर पदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२ का संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड [१] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

www.vadhi.in

संक्षिप्त नाम

१—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ [संशोधन] अध्यादेश, १९७५ कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५३ की धारा ९ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२ [जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है] की धारा ९ में, खंड [क] के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"[कक] उसका नोटिस सम्बद्ध गांव सभा को देगा"

धारा ११ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ११ में—

[१] उपधारा [२] में, शब्द "सम्बद्ध गांव पंचायत" के स्थान पर शब्द "सम्बद्ध गाँव सभा" रख दिये जायें।

[२] उपधारा [५] के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात—

[६] इस धारा के अधीन तहसीलदार के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध कलेक्टर को अपील कर सकेगा, और ऐसी अपील पर कलक्टर का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(७) इस धारा के अधीन भू-दान प्रख्यापन को पुष्ट अथवा अधिक्रान्त करने के अधिकार के अन्तर्गत उसे पूर्णतः या अंशतः पुष्ट या अधिक्रान्त करने का भी अधिकार होगा।

धारा १४ का संशोधन

४ मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 14 पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जाय, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा [1] में, शब्द "भूमिहीन व्यक्तियों" के स्थान पर शब्द "भूमिहीन कृषि श्रमिकों" रख दिये जायें।

[ख] इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा [1] के पश्चात निम्नलिखित उप-धारायें तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जाँय, अर्थात्—

"[2] जहां उपर्युक्त समिति या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति, समिति में ऐसी भूमि के निहित होने के दिनांक से या उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ [संशोधन] अध्यादेश, 1975 के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, तीन वर्षकी अवधि के भीतर उपधारा [1] के अनुसार भूमि का अनुदान करने में असफल रहता है तो कलेक्टर स्वयं ऐसी भूमि का अनुदान भूमिहीन कृषि श्रमिकों को नियत रीति से कर सकता है, और तदुपरान्त अनुदान ग्रहीता उपधारा [1] में उल्लिखित अधिकारों तथा दायित्वों को उसी प्रकार उपार्जित करेगा मानो अनुदान स्वयं समिति द्वारा किया गया हो।

[3] 1950 ई० के जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति जो उपधारा [1] या उपधारा [2] के अधीन सीरदार के अधिकारों या दायित्वों को उपार्जित करे, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की गई या अनुदत्त समझी गई भूमि के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन भूमिधरी अधिकारों को उपार्जित करने का हकदार न होगा।

www.vinoba.in

[4] इस धारा के अधीन भूमि का अनुदान करने में, यथा-स्थिति उपर्युक्त समिति या अन्य प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति या कलेक्टर निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करेगा—

[क] अनुदान के लिए उपलब्ध भूमि का कम से कम पच्चास प्रतिशत उन व्यक्तियों को जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के हों और उन व्यक्तियों को जो कोल, पठारी, खैरवार, बगा, धरिकार, पनिका और गौंड जन-जातियों तथा ऐसी अन्य जन-जातियों के हों जिन्हें राज्य सरकार समिति की सिफारिश पर तदर्थ विज्ञापित करे, अनुदत्त किया जायेगा।

[ख] किसी गांव में स्थित भूमि का अनुदान, यथा-संभव, उसी गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों को दिया जायगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद 'भूमिहीन कृषि श्रमिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि-श्रम या खेती हो और जिसके पास सुसंगत समय पर या तो कोई भूमि न हो या उत्तर प्रदेश में भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में 0·40468564 हेक्टेयर [एक एकड़] से अनधिक भूमि हो।"।

नई धारा १५-क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कतिपय अनुदानों का रद्द किया जाना।

"15-क[1]—कलेक्टर, इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात्, धारा 14 के अधीन अनुदत्त की गई किसी भूमि के सम्बन्ध में, स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा और समिति की संस्तुति पर या ऐसे अनुदान से व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर, जांच करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाय कि अनुदान अनियमित था या ऐसा अनुदान उसके ग्रहीता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट से प्राप्त किया गया था तो यह—

[1] अनुदान रद्द कर सकेगा, और इस प्रकार रद्द किये जाने पर, धारा 14 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी भूमि में अनुदानग्रहीता या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और भूमि समिति को प्रतिवर्तित हो जायेगी और

[2] ऐसी भूमि पर कब्जा करने वाले या कब्जा रखे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् भूमि का कब्जा समिति को परिदत्त करने का निदेश दे सकेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा या करा सकेगा जो आवश्यक हो।

[2] उपधारा [1] के अधीन प्रत्येक कार्यवाही की नोटिस समिति को दी जायेगी, और उसके सम्बन्ध में समिति द्वारा किये गये प्रत्येक अभ्यावेदन पर कलेक्टर द्वारा विचार किया जायगा।

www.vinoba.in

[3] अनुदानग्रहीता या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके सम्बन्ध में कलेक्टर को यह ज्ञात हो कि वह उसके अन्तर्गत दावेदार है, सुनवाई का अवसर दिये बिना उपधारा [1] के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायगा।

[4] उपधारा [1] के अधीन पारित कलेक्टर का आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा।"

आज्ञा से,
मर्रि चन्ना रेड्डी,
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

नोट:—उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1975
(उत्तर प्रदेश अधिनिमय संख्या 10, 1975)
उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 28 फरवरी, 1975 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 19 मार्च, 1975 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

● 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 26 मार्च, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 29 मार्च, 1975 ई० को प्रकाशित हुआ।

www.vinoba.in

—: प्रकाशक :—

अ० प्र० भूदान यज्ञ समिति

११२, रायल होटल, लखनऊ

(फोन : २७६१३)

मुद्रक : पारस प्रेस, १७४ (पिछला हिस्सा), राजेन्द्र नगर, लखनऊ-२२६००४, फोन : २६६२४

www.vinoba.in